

(e) for rule 119, the following rule shall be substituted, namely:-

“119. Declaration of stock held by a principal and agent.- Every person to whom the provisions of sub-section (14) of section 142 apply shall, within ninety days of the appointed day, submit a declaration electronically in FORM GST TRAN-1, specifying therein, the stock of the inputs, semi-finished goods or finished goods, as applicable, held by him on the appointed day.”;

(f) the following explanation shall be inserted at the end of these rules, namely:-

‘**Explanation.**- For the purposes of these rules, it is hereby clarified that all references to section 140 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, shall be construed to refer to section 18 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017.’.

[F. No. S-31011/25/2017-ST-I-DOR]

S. R. MEENA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 9/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.नि. 746(अ).—केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 1917 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) के अनुसरण में लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (लक्षद्वीप) नियम, 2017 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे ।

केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का अनुकूलन ।

2. (1) पूर्ति का विस्तार क्षेत्र, संयुक्त उद्ग्रहण, संयुक्त पूर्ति और मिश्रित पूर्ति, पूर्ति का समय और मूल्य, इनपुट कर प्रत्यय, रजिस्ट्रीकरण, कर बीजक प्रत्यय और नामे नोट, लेखों और अभिलेखों, विवरणियों, कर के संदाय, स्रोत पर कर कटौती, स्रोत पर कर संग्रहण, निर्धारण, प्रतिदाय, संपरीक्षा, निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी, मांग और वसूली, कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व, अग्रिम विनिर्णय, अपीलों और पुनरीक्षण, दस्तावेजों के बारे में पूर्व धारणा, अपराधों और शास्तियों, फुटकर काम, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य, निधियों का परिनिर्धारण, संक्रमणकालीन उपबंध और प्रकीर्ण उपबंध, जिनके अंतर्गत व्याज और शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, के संबंध में केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, निम्नलिखित उपांतरणों सहित लागू होंगे, अर्थात्:-

(क) नियम 1 में,-

(i) “केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (लक्षद्वीप) नियम, 2017” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) नियम 90 के उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) जहां कमियां केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन प्ररूप मा.से.क. आरएफडी-03 में संसूचित की गई हैं वहां उसे उपनियम (3) के अधीन संसूचित कमियों के साथ इस नियम के अधीन भी संसूचित किया हुआ समझा जाएगा।”;

(ग) नियम 117 के उपनियम (1) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि धारा 140 की उपधारा (1) के अधीन दावे के मामले में आवेदन में पृथक् रूप से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा-

(i) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6 और धारा 6क तथा धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन आवेदक द्वारा किए गए दावे; और

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट दावों के समर्थन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग या प्ररूप च में घोषणाओं तथा प्ररूप ड या प्ररूप ज या प्ररूप झ में प्रमाणपत्रों के क्रम संख्यांक और उनका मूल्य।”;

(घ) नियम 117 में, उपनियम 4 के खंड क और खंड ख का लोप किया जाएगा;

(ङ) नियम 119 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“119. प्रधान और अभिकर्ता द्वारा धारित स्टॉक की घोषणा:- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसको धारा 142 की उपधारा (14) के उपबंध लागू होते हैं, नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर, प्ररूप मा.से.क. ट्रान-1 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से एक घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें नियत दिन को उसके द्वारा धारित, यथा लागू, इनपुट अर्ध-तैयार माल या तैयार माल का स्टॉक विनिर्दिष्ट हो।”;

(च) निम्नलिखित स्पष्टीकरण इन नियमों के अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“इन नियमों के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 40 के प्रति सभी प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 के प्रति निर्देश हैं।”।

[फा. सं. एस-31011/25/2017-एसटी-I-डीओआर]

एस. आर. मीना, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

No. 9/2017 – Union Territory Tax

G.S.R. 746(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 22, read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules for the Union Territory of Lakshadweep, namely:--

Short title and Commencement.

1. (1) These rules may be called the Union Territory Goods and Services Tax (Lakshadweep) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

Adaptation of Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

2. (1) The Central Goods and Services Tax Rules, 2017, in respect of scope of supply, composition levy, composite supply and mixed supply, time and value of supply, input tax credit, registration, tax invoice, credit and debit notes, accounts and records, returns, payment of tax, tax deduction at source, collection of tax at source, assessment, refunds, audit, inspection, search, seizure and arrest, demands and recovery, liability to pay in certain cases, advance ruling, appeals and revision, presumption as to documents, offences and penalties, job work, electronic commerce, settlement of funds, transitional provisions, and miscellaneous provisions including the provisions relating to the imposition of interest and penalty, shall, *mutatis mutandis*, apply, with the following modifications, namely:-
 - (a) in rule 1,-
 - (i) for the words and figures “the Central Goods and Services Tax Rules, 2017”, the words, brackets and figures, “the Union territory Goods and Services Tax (Lakshadweep) Rules, 2017” shall be substituted;
 - (b) in rule 90, for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) Where deficiencies have been communicated in FORM GST RFD-03 under the Central Goods and Service Tax Rules, 2017, the same shall also deemed to have been communicated under this rule along with the deficiencies communicated under sub-rule (3).”;

(c) in rule 117, in sub-rule (1), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided further that in the case of a claim under sub-section (1) of section 140, the application shall specify separately—

(i) the value of claims under section 3, sub-section (3) of section 5, sections 6 and 6A and sub-section (8) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 made by the applicant; and

(ii) the serial number and value of declarations in Forms C or F and certificates in Forms E or H or Form I specified in rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 submitted by the applicant in support of the claims referred to in sub-clause (i).”;

(d) in rule 117, clauses (a) and (b) of sub-rule (4) shall be omitted;

(e) for rule 119, the following rule shall be substituted, namely:-

“119. Declaration of stock held by a principal and agent.- Every person to whom the provisions of sub-section (14) of section 142 apply shall, within ninety days of the appointed day, submit a declaration electronically in FORM GST TRAN-1, specifying therein, the stock of the inputs, semi-finished goods or finished goods, as applicable, held by him on the appointed day.”;

(f) the following explanation shall be inserted at the end of these rules, namely:-

‘**Explanation.**- For the purposes of these rules, it is hereby clarified that all references to section 140 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, shall be construed to refer to section 18 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017.’.

[F. No. S-31011/25/2017-ST-I-DOR]

S. R. MEENA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 10/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.नि. 747(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) और धारा 56 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के अनुसरण में, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजनों के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा उल्लिखित प्रतिवर्ष ब्याज की दर को नियत करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	धारा	ब्याज की दर
(1)	(2)	(3)
1.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21	18 प्रतिशत
2.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (3) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21	24 प्रतिशत
3.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (12) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21	6 प्रतिशत